<u>समक्ष– तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा छ0ग0</u>

(पीठासीन अधिकारी–एल0पी0एस0 बघेल)

<u>मो0दु0दा0 कमांक–01 / 2018</u>
<u>संस्थित दिनांक–03.01.2018</u>

1. श्रीमती मंजूलता पैकरा (मंजुलता पैकरा) पत्नी स्वर्गीय मोहन प्रसाद सिंह उम्र–33 वर्ष
2. देवव्रत सिंह आत्मज–स्वर्गीय मोहन प्रसाद सिंह उम्र–15 वर्ष
3. तुलेश्वर सिंह आत्मज–स्वर्गीय मोहन प्रसाद सिंह उम्र–12 वर्ष
4. कुलदीप सिंह आत्मज–स्वर्गीय मोहन प्रसाद सिंह उम्र–10 वर्ष

   आवेदक कमांक–2 से 4 नाबालिग द्वारा नैसर्गिक वली माता श्रीमती मंजूलता पैकरा पत्नी स्वर्गीय मोहन प्रसाद सिंह।
5. चंद्रकांति बेवा स्वर्गीय नारायण प्रसाद उम्र लगभग–67 वर्ष

   सभी निवासी–ग्राम बन्दना (जामपानी) पो0 कोट, थाना–सीतापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0)

––––––––**<u>आवेदकगण</u>**

–//**<u>विरुद्ध</u>**//–

1. सुफियान अहमद आत्मज–अबरार अहमद निवासी, 18 ई0 / 12 ए करामत की चौकी, करैली इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश)
2. मो0 साकिब आत्मज–वकील उद्दीन जाति–मुसलमान उम्र–35 वर्ष निवासी–मुबारकपुर अट्रामपुर नवाबगंज इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश)
3. चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक सिमरन टॉवर, द्वितीय मंजिल अपोजिट एल0आई0सी0 बिल्डिंग, पंडरी रायपुर (छ0ग0)

––––––––––––**<u>अनावेदकगण</u>**

आवेदकगण द्वारा..श्री विकास श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अनावेदक क्रामंक–1 एवं 2...एकपक्षीय।

अनावेदक क्रमांक–3 द्वारा..श्री प्रशांत त्रिपाठी अधिवक्ता।

–//**अधिनिर्णय**//–

(आज दिनांक–10/08/2018 को घोषित)

1. इसके द्वारा दिनांक–01.11.2017 को वाहन ट्रक क्रमांक–यू0पी0–70–एफ0टी0–9100 (जिसे प्रश्नगत वाहन कहा जायेगा) से हुई .दुर्घटना में मृतक मोहन प्रसाद सिंह के वैध प्रतिनिधियों के द्वारा **धारा–166 मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नगत वाहन के चालक **अनावेदक कमांक–2** के विरूद्ध इसी दुर्घटना के संबंध में **आरक्षी केन्द्र सीतापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0)** के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतापुर जिला–सरगुजा के न्यायालय में अपराध **कमांक–228/2017** अंतर्गत धारा–279, 337 एवं 304 (ए) भारतीय दण्ड संहिता का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा प्रश्नगत वाहन **अनावेदक कमांक–01** के नाम पर तथा **अनावेदक कमांक–3** के पास बीमित थी।

3. आवेदन का सार यह है कि दुर्घटना दिनांक–01.11.2017 को करीब शाम–4:00 बजे आवेदिका का पति मोटर सायकल क्रमांक

सी0जी0–15–सी0यू0–5927 में बैठकर वन्दना से सीतापुर बाजार जा रहा था और जैसे ही काराबेल मोड़ के पास पहुंचा और मुड़ कर सीतापुर की ओर जाने लगा, तभी पीछे से आ रही ट्रक क्रमांक–यू0पी0–70–एफ0टी0–9100 के चालक अनावेदक क्रमांक–2 के द्वारा ट्रक को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मोटर सायकल को पीछे से ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया, जिससे आवेदिका के पति को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और आवेदिका का पति राजमिस्त्री एवं कृषि का कार्य करता था और उक्त कार्यों से आवेदिका का पति प्रतिमाह 12,000 (बारह हजार रूपए) की आय प्राप्त कर लेता था, जिससे आवेदिका तथा आवेदिका के बच्चे तथा उसकी सास का पालन–पोषण होता था और आवेदिका के पति की असामयिक मृत्यु हो जाने से वे लोग उक्त आय से वंचित हो गए हैं, अतः आवेदकगण को ₹33,54,000 (तैंतिस लाख चौवन हजार रूपए) अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक आवेदन दिनांक से ब्याज सहित दिलाए जाने का निवेदन किया है।

4. **अनावेदक क्रमांक–1** द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए आवेदन में उल्लेखित समस्त अभिवचनों से इंकार किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि अनावेदक क्रमांक–1 के वाहन के खिलाफ साजिशन एफ0आई0आर0 थाना–सीतापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0) मे दर्ज कराई गई है और उसी के आधार पर प्रश्नगत याचिका दाखिल की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है और कथित दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक–1 की वाहन वैध अनुज्ञप्ति चालक द्वारा वैध कागजात व ट्रैफिक नियमों के साथ जा रहा था, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हुई है और अनावेदक क्रमांक–1 की वाहन चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड से बीमित है और यदि आवेदकगण

याचिका को साबित करने में सफल होते हैं और कोई धनराधि याची को दिया जाना है तो, उसकी संपूर्ण भुगतान की जिम्मेदारी अनावेदक क्रमाक—3 बीमा कंपनी की है, अतः आवेदकगण का दावा अनावेदक क्रमांक—1 के विरूद्ध निरस्त की जाए।

5. **अनावेदक क्रमांक—2** एकपक्षीय है और उसके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. **अनावेदक क्रमांक—3** द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए आवेदन में उल्लेखित समस्त अभिवचनों से इंकार किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि बीमित वाहन का स्वामी वाहन का चालन वाहन के रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेश एवं बीमा पॉलिसी के घोर उल्लंघन में किया है और अनावेदक क्रमांक—2 के पास माल वाहक वाहन चालन का ट्रांसपोर्ट चालन अनुज्ञप्ति पत्र नहीं था और कथित दुर्घटना मृतक द्वारा स्वतः मोटर सायकल को घोर लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से चालन किया गया है और मृतक द्वारा चालन की जा रही मोटर सायकल का स्वामी, बीमा कंपनी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं और मृतक के पास मोटर सायकल चालन का वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति पत्र नहीं था और दुर्घटना के समय मृतक मोटर सायकल का चालन कर रहा था और मोटर सायकल पर क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार थे, अतः बीमा पॉलिसी के घोर उल्लंघन के कारण दावा अनावेदक क्रमांक—3 के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

7. प्रकरण में निम्नानुसार वादप्रश्न स्थिर किये गए, जिनके समक्ष निकाले गए निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :—

कमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या अनावेदक क्रमांक–2, दिनांक–01.11.2017 को समय 16:00 बजे स्थान काराबेल मैनपाठ चौक मेनरोड़ सीतापुर थाना–सीतापुर जिला–सरगुजा में वाहन ट्रक क्रमांक–यू0पी0–70–एफ0टी0–9100 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटर सायकल क्रमांक–सी0जी0–15–सी0यू0–5927 में ठोकर मारकर .दुर्घटना कारित कर मोहन प्रसाद सिंह की मृत्यु कारित की ?	''हॉ''
2.	क्या अनावेदक क्रमांक–2 द्वारा घटना दिनांक को वाहन ट्रक क्रमांक–यू0पी0–70 एफ0टी0–9100 को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	''नहीं''
3.	क्या आवेदकगण, अनावेदक क्रमांक–1, 2 एवं 3 से संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हॉ तो किस अनावेदक से कितनी राशि ?	''अधिनिर्णय की कंडिका–17 के अनुसार''
4.	सहायता एवं व्यय ?	''अधिनिर्णय की कंडिका–18 के अनुसार

//निष्कर्ष के आधार//

//वादप्रश्न कमांक–01 पर निष्कर्ष//

8. आवेदिका मंजूलता पैकरा (आ0सा01) की यह साक्ष्य है कि दिनांक–01.11.2017 को शाम–4:00 बजे उसके पति मोटर सायकल क्रमांक–सी0जी0–15–सी0यू0–5927 में बैठकर बन्दना से सीतापुर जा रहे थे और काराबेल मोड़ के पास मुड कर सीतापुर की ओर जाने लगे तभी पीछे से आ रही ट्रक क्रमांक–यू0पी0–70–एफ0टी0–9100 का चालक अनावेदक क्रमांक–2 ट्रक को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटर सायकल को पीछे से ठोकर मार दिया,

जिससे उसके पति को गंभीर चोटें आई और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

9. आवेदिका मंजूलता पैकरा (आ0सा01) ने अपने आवेदन के समर्थन में थाना–सीतापुर के अपराध क्रमांक–228/2017 का अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए–2, अकाल मृत्यु सूचना प्रदर्श ए–3, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श ए–4, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श ए–5, शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श ए–6 ,शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श ए–7 एवं जप्तीपत्र प्रदर्श ए–8 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। जो उक्त घटना के संबंध में है और उक्त घटना के संबंध में अनावेदक क्रमांक–2 के विरूद्ध थाना–सीतापुर में अपराध क्रमांक–228/2017 धारा–279, 337 एवं 304–ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसका अभियोग–पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतापुर के समक्ष पेश किया गया था।

10. आवेदिका मंजूलता पैकरा (आ0सा01) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदकगण की ओर से अन्य साक्षी अमीन मिंज (आ0सा02) के कथन कराए गए हैं और उक्त साक्षी .घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और उसका यह कथन है कि मोटर सायकल को मृतक चला रहा था, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 एवं अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 से होती है, किन्तु उक्त साक्षी का यह कथन है कि ट्रक मोटर सायकल को पीछे से ठोकर मार दिया था और साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उनकी मोटर सायकल सड़क पर तेजी से चल रही थी।

11. साक्षी देवधर पैकरा (आ0सा03), जो दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसने भी यह कथन किया है कि ट्रक चालक ने तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चला

कर मोटर सायकल को ठोकर मारी थी और साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि मोटर सायकल चालक की स्वतः की लापरवाही से दुर्घटना हुई थी। यद्यपि साक्षी अमीन मिंज (आ0सा02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में एक जगह यह स्वीकार किया है कि मोटर सायकल चालक मोहन की गलती से दुर्घटना हुई थी, किन्तु किसी भी साक्षी के साक्ष्य को उसके संपूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना होता है और साक्षी ने यह स्पष्ट कथन किया है कि मोटर सायकल के पीछे ट्रक था और इस बात से इंकार किया है कि उनकी गाड़ी तेज चल रही थी और इस बात से भी इंकार किया है कि उनके साईड नहीं देने के कारण दुर्घटना घटी थी, अतः मोटर सायकल चालक की क्या गलती थी, इस संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं है और अनावेदक क्रमांक–2 के विरूद्ध उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चला कर दुर्घटना कारित किये जाने का अभियोग–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था और साक्षी देवधर पैकरा ने भी यह स्पष्ट कथन किया है कि अनावेदक क्रमांक–2 की गलती से दुर्घटना हुई थी, अतः अनावेदक क्रमांक–2 के विरूद्ध दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चालन की उपधारणा की जा सकती है।

12. आवेदिका मंजूलता पैकरा (आ0सा01) ने अपने आवेदन के समर्थन में प्रदर्श ए–7 का शव परीक्षण प्रतिवेदन जो दिनांक–02.11.2017 का है, प्रस्तुत किया है, जिसमें मृतक मोहन प्रसाद की मृत्यु रोड़ एक्सीडेन्ट में आई हेड इन्जुरी से होना उल्लेखित किया गया है, अतः दुर्घटना दिनांक–01.11.2017 को अनावेदक क्रमांक–2 द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक–यू0पी0–70–एफ0टी0–9100 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाकर मोहन प्रसाद सिंह की मृत्यु कारित करने की उपधारणा की जा सकती है। **अतः वादप्रश्न क्रमांक–01 का निराकरण ''हाँ'' में किया जाता है।**

//वाद प्रश्न कमांक–2 पर निष्कर्ष//

13. आवेदिका मंजूलता पैकरा (आ0सा01) ने आवेदन के समर्थन में .दुर्घटना कारित वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्रदर्श ए–1, बीमा प्रमाण–पत्र प्रदर्श ए–10, माल अनुज्ञा पत्र प्रदर्श ए–11, फिटनेश प्रदर्श ए–13 एवं ड्राईवर का ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श ए–14 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया है। अनावेदक कमांक–1 ने वाहन ट्रक कमांक–यू0पी0–70–एफ0टी0–9100 का स्वामी होना तथा अनावेदक कमांक–3 ने उक्त वाहन दिनांक–29.03.2017 से 28.03.2018 तक अपने यहां बीमित होना स्वीकार किया है, अतः वाहन दुर्घटना दिनांक–01.11.2017 को अनावेदक कमांक–3 के यहां बीमित थी और वाहन का दुर्घटना दिनांक को परमिट एवं फिटनेश भी था और प्रदर्श ए–14 के अनुसार अनावेदक कमांक–2 के पास .दुर्घटना कारित वाहन को चलाने का लाईसेंस भी था और उक्त दस्तावेजों के खंडन में अनावेदक कमांक–3 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः अनावेदक कमांक–3 यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कमांक–2 वाहन ट्रक कमांक–यू0पी0–70–एफ0टी0–9100 को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चला रहा था, **अतः वादप्रश्न कमांक–2 का निराकरण ''नहीं'' में किया जाता है।**

//वादप्रश्न कमांक–03 पर निष्कर्ष//

14. चूंकि प्रश्नगत दुर्घटना **अनावेदक कमांक–2** के उपेक्षा एवं उतावलेपन के परिणाम स्वरूप हुई थी तथा **अनावेदक कमांक–1** प्रश्नगत वाहन का स्वामी था तथा **अनावेदक कमांक–3** के पास प्रश्नगत वाहन बीमित थी। अतः **अनावेदक कमांक–2** चालक के रूप में **अनावेदक कमांक–1** प्रश्नगत वाहन का

स्वामी होने के कारण प्रतिनिधायी दायित्व के अंतर्गत तथा **अनावेदक कमांक–3** संविदात्मक दायित्व के तहत् प्रतिकर अदा करने के लिए **संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से दायित्वाधीन हैं।**

15. आवेदिका मंजूलता पैकरा (आ0सा01) ने अपने आवेदन में अपने पति की उम्र 35 वर्ष उल्लेखित की है, किन्तु आवेदिका ने अपने पति मोहन प्रसाद का आधार कार्ड प्रदर्श ए–15 प्रस्तुत किया है और उक्त आधार कार्ड में मोहन प्रसाद की जन्म तिथि–01.06.1981 उल्लेखित है और दुर्घटना दिनांक–01.11.2017 की है, अतः दुर्घटना दिनांक को मृतक मोहन प्रसाद की उम्र–36 वर्ष 05 माह थी, अतः दुर्घटना दिनांक को मृतक की उम्र–36 वर्ष 05 माह होना अनुमानित की जाती है, जो 37 वर्ष से कम थी।

16. आवेदिका मंजूलता पैकरा (आ0सा01) की यह साक्ष्य है कि वह मृतक की पत्नी है तथा आवेदक कमांक–2, 3 एवं 4 मृतक के पुत्र हैं तथा आवेदिका कमांक–5 मृतक की माता है, जो आवेदक पर आश्रित थे।

17. आवेदिका मंजूलता पैकरा (आ0सा01) की यह साक्ष्य है कि उसका पति राज मिस्त्री का काम करता था, जिससे उसे प्रतिमाह ₹12,000/–(बारह हजार रूपए) मासिक आय प्राप्त होती थी, किन्तु राज मिस्त्री होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। अतः मृतक असंगठित क्षेत्र में कार्य करता था, अतः नियमित मजदूरी दर पर विचार करते हुए वास्तविक कार्य दिवस की मजदूरी पर ही भुगतान किया जाता है, को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की मासिक आय ₹4,500/–(चार हजार पांच सौ रूपए) अनुमानित की जाती है। चूंकि मृतक 36 वर्ष से अधिक उम्र का था। अतः मृतक की मृत्यु के समय वास्तविक आय पर

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध प्रणय सेठी और अन्य स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) नम्बर–25590/2014 निर्णय दिनांक–31.10.2017 में माननीय उच्चतम् न्यायालय की कान्सटीट्यूशन बैंच द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार सेल्फ इम्पलाई या फिक्स सैलरी वालों के लिये, जिनकी उम्र–40 वर्ष से कम है, उनके भविष्य की संभावनाओं के लिये 40 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है। चूंकि मृतक 36 वर्ष से अधिक उम्र का था, अतः उसकी भविष्य की संभावनाओं के लिये 40 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की जाती है। इस तरह **₹4,500** (चार हजार पांच सौ रूपए) प्रतिमाह वास्तविक वेतन मानते हुए उस पर 40 प्रतिशत की वृद्धि **₹1,800** (अठारह सौ रूपए) इस तरह **₹4,500 + ₹**1,800 **= ₹6,300** (छः हजार तीन सौ रूपए) प्रतिमाह आय अनुमानित की जाती है। न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध प्रणय सेठी और अन्य स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) नम्बर–25590/2014 निर्णय दिनांक–31.10.2017 में माननीय उच्चतम् न्यायालय की कान्सटीट्यूशन बैंच द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट विधि** के अनुसार **श्रीमती सरला वर्मा प्रति डी0टी0सी0–2009 (6) एस0सी0सी0–121** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार निजी व्यय के संबंध में विनिर्दिष्ट विधि को अंगीकार किया गया है। चूंकि मृतक विवाहित था और उसकी पत्नी तथा तीन नाबालिग पुत्र एवं उसकी माता कुल–पांच लोग उस पर आश्रित थे, अतः मृतक अपनी आय का 1/4 स्वयं पर खर्च करता। चूंकि मृतक की मासिक आय **₹**6,300 (छः हजार तीन सौ रूपए) अनुमानित की गई है, अतः 1/4 जो **₹1,575** (एक हजार पांच सौ पचहत्तर रूपए) होगी, जो मृतक स्वयं पर खर्च करता। अतः **₹**6,300–**₹1,575 = ₹4,725 (चार हजार सात सौ पच्चीस रूपए)** मासिक आय होगी, जो मृतक अपने आश्रितों पर खर्च करता और मृतक की आयु घटना के समय 36 वर्ष से अधिक

थी, **अतः** **<u>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध प्रणय सेठी और अन्य स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) नम्बर–25590/2014 में माननीय उच्चतम् न्यायालय की कान्सटीट्यूशन बैंच द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट विधि</u>** के अनुसार 36 से 40 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों के लिये 15 का गुणक प्रयुक्त किये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अतः **प्रकरण में 15 का गुणक प्रयुक्त किये जाने योग्य है।** अतः आवेदकगण की आश्रितता की कुल हानि **₹4,725X12X15 = ₹8,50,500 (आठ लाख पचास हजार पांच सौ रूपए)** आंकलित की जाती है। **<u>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध प्रणय सेठी और अन्य स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) नम्बर–25590/2014 में माननीय उच्चतम् न्यायालय की कान्सटीट्यूशन बैंच द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट विधि</u>** के अनुसार मृतक के दाह संस्कार के लिये **₹15,000 (पंद्रह हजार रूपए)** तथा संपदा की हानि के मद में **₹15,000 (पंद्रह हजार रूपए)** एवं आवेदिका कमांक–1 के पति की मृत्यु हुई है, अतः सहचर्य की हानि **₹40,000 (चालिस हजार रूपए) इस तरह कुल प्रतिकर–₹8,50,500 + ₹15,000 + ₹15,000 + ₹40,000 = ₹9,20,500 (नौ लाख बीस हजार पांच सौ रूपए) अधिनिर्णित किया जाता है।**

तदानुसार वादप्रश्न कमांक–3 का निराकरण किया जाता है।

<u>//वाद प्रश्न कमांक 4 पर निष्कर्ष//</u>

18. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर आवेदकगण **अनावेदक कमांक–1, 2 एवं 3** के विरूद्ध अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, इसलिए आवेदकगण का दावा अनावेदक कमांक–1, 2 एवं 3 के विरूद्ध

आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और आवेदकगण **के पक्ष में निम्नलिखित अवार्ड पारित किया जाता है :–**

1. **अनावेदक कमांक–1, 2 एवं 3** के द्वारा तीस दिवस के भीतर आवेदकगण को भुगतान हेतु प्रतिकर की राशि **₹9,20,500 (नौ लाख बीस हजार पांच सौ रूपए)** आवेदन प्रस्तुति दिनांक– 03.01.2018 से सम्पूर्ण अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़ कर अधिकरण में जमा किया जावे। क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक–3 का होगा।

2. यदि कोई **अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि** का भुगतान किया गया है तो उसे **अवार्ड की उक्त राशि में समायोजित किया जावे।**

3. उपरोक्त राशि जमा होने पर उसमें से आवेदिका क्रमांक–1 के नाम पर **₹3,00000 (तीन लाख रूपये) पांच वर्ष के लिये तथा आवेदक कमांक–2, 3 एवं 4 के नाम ₹1,00000–₹1,00000 (एक–एक लाख रूपये) उनके व्यस्क होने तक के लिये राष्ट्री**कृत बैंक में सावधि जमा किया जाए। उक्त सावधि जमा राशि पर कोई लोन या एडवांस देय नहीं होगा, किन्तु आवेदिका क्रमांक–1 अपने सावधि जमा खाते से प्रतिवर्ष **10 प्रतिशत** की सीमा तक **अधिकरण की अनुमति के बगैर राशि आहरण कर सकेगी** तथा शेष राशि में से **₹50,000 (पचास हजार रूपए) आवेदिका कमांक–5 के बचत खाते में तथा शेष राशि ₹2,70,500 (दो लाख सत्तर हजार पांच सौ रूपए) एवं ब्याज आवेदिका कमांक–1 के** बचत खाते में जमा कर प्रदान किया जाए।

4. **अनावेदक कमांक–1, 2 एवं 3 स्वयं** तथा आवेदकगण **का** वाद व्यय **वहन करेंगे।**

5. आवेदन का व्यय **₹500/–(पांच सौ रूपए) तथा अधिवक्ता शुल्क ₹7,500 (सात हजार पांच सौ रूपए)** या प्रमाणित होने पर या जो भी कम हो, देय होगा।

इस अवार्ड की प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाए।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका तैयार की जावे।

स्थान :–अम्बिकापुर
दिनांक :–10.08.2018

एल0पी0एस0 बघेल
तृतीय अति0 मो0दु0दावा अधि0
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)